मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 59

महिला और बाल विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2400.00	54.19	2454.19	2400.00	54.19	2454.19	3875.29	55.82	3931.11
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**2400.00**	**54.19**	**2454.19**	**2400.00**	**54.19**	**2454.19**	**3875.29**	**55.82**	**3931.11**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	5.00	7.85	12.85	2.00	7.85	9.85	0.25	8.37	8.62
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
बाल कल्याण										
2. एकीकृत बाल विकास सेवाएं	2235	4.94	...	4.94	12.60	...	12.60	35.35	...	35.35
	3601	1604.50	...	1604.50	1464.37	...	1464.37	3088.15	...	3088.15
	3602	14.00	...	14.00	13.43	...	13.43	18.75	...	18.75
	जोड़	*1623.44*	*...*	*1623.44*	*1490.40*	*...*	*1490.40*	*3142.25*	*...*	*3142.25*
3. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित बाल	2235	1.00	...	1.00	1.21	...	1.21	1.20	...	1.20
विकास सेवा परियोजनाएं	3601	269.00	...	269.00	368.62	...	368.62	133.78	...	133.78
	3602	...	...	...	0.17	...	0.17	0.02	...	0.02
	जोड़	*270.00*	*...*	*270.00*	*370.00*	*...*	*370.00*	*135.00*	*...*	*135.00*
4. आईसीडीएस के अन्तर्गत	2235	9.20	...	9.20	9.20	...	9.20	5.00	...	5.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम	3601	44.00	...	44.00	64.00	...	64.00	32.50	...	32.50
	3602	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.50	...	0.50
	जोड़	*54.00*	*...*	*54.00*	*74.00*	*...*	*74.00*	*38.00*	*...*	*38.00*
5. दिवस परिचर्या केन्द्र	2235	27.00	14.00	41.00	15.92	13.33	29.25	28.50	13.00	41.50
6. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) को अंशदान	2235	...	3.10	3.10	...	3.10	3.10	...	3.10	3.10
7. राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान	2235	5.25	6.50	11.75	5.25	6.50	11.75	4.35	7.00	11.35
8. अन्य योजनाएं	2235	14.10	0.51	14.61	13.05	0.51	13.56	13.55	0.57	14.12
जोड़-बाल कल्याण		**1993.79**	**24.11**	**2017.90**	**1968.62**	**23.44**	**1992.06**	**3361.65**	**23.67**	**3385.32**
महिला कल्याण										
9. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	2235	5.25	...	5.25	5.25	...	5.25	5.40	...	5.40
10. बालिका समृद्धि योजना	2235	0.01	...	0.01	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01
	3601	0.01	...	0.01	47.55	...	47.55	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.35	...	0.35	0.01	...	0.01
	जोड़	*0.03*	*...*	*0.03*	*48.00*	*...*	*48.00*	*0.03*	*...*	*0.03*
11. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	2235	8.98	...	8.98	6.20	...	6.20	5.98	...	5.98
	3601	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	*9.00*	*...*	*9.00*	*6.20*	*...*	*6.20*	*6.00*	*...*	*6.00*
12 प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता	2235	22.50	...	22.50	16.09	...	16.09	13.50	...	13.50
13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2235	27.00	13.00	40.00	27.00	13.00	40.00	31.00	13.50	44.50
14. स्वावलम्बन	2235	22.50	...	22.50	22.50	...	22.50	14.00	...	14.00
15. अल्पकालिक गृह	2235	13.50	1.50	15.00	12.90	1.50	14.40	13.50	1.50	15.00
16. जागरूकता सृजन कार्यक्रम	2235	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
17. राष्ट्रीय महिला आयोग	2235	5.40	1.60	7.00	4.40	2.15	6.55	3.60	2.17	5.77
18. स्वशक्ति परियोजना	2235	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00
19. राष्ट्रीय महिला कोष	2235	1.00	...	1.00	...	...	...	0.01	...	0.01
20. स्वयंसिद्ध	2235	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	2.50	...	2.50
	3601	16.50	...	16.50	14.85	...	14.85	15.50	...	15.50
	3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.50	...	0.50
	जोड़	*18.00*	*...*	*18.00*	*16.35*	*...*	*16.35*	*18.50*	*...*	*18.50*
21. स्वाधार	2235	2.70	...	2.70	3.69	...	3.69	5.50	...	5.50
22. यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव के लिए योजना	2235	3.00	...	3.00	...	...	...	0.25	...	0.25
23. अन्य कार्यक्रम	2235	...	0.20	0.20	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15
जोड़-महिला कल्याण		**159.38**	**16.30**	**175.68**	**186.88**	**16.80**	**203.68**	**120.79**	**17.32**	**138.11**
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**2153.17**	**40.41**	**2193.58**	**2155.50**	**40.24**	**2195.74**	**3482.44**	**40.99**	**3523.43**
पोषाहार										
24. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	2236	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
	3601	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	*0.03*	*...*	*0.03*	*...*	*...*	*...*	*0.03*	*...*	*0.03*

Website: http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
25. अन्य योजनाएं	2236	1.80	5.93	7.73	2.50	6.10	8.60	5.04	6.46	11.50
कुल-पोषाहार		**1.83**	**5.93**	**7.76**	**2.50**	**6.10**	**8.60**	**5.07**	**6.46**	**11.53**
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	240.00	...	240.00	240.00	...	240.00	387.53	...	387.53
कुल जोड़		***2400.00***	***54.19***	***2454.19***	***2400.00***	***54.19***	***2454.19***	***3875.29***	***55.82***	***3931.11***
ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00	0.25	...	0.25
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	2153.17	...	2153.17	2155.50	...	2155.50	3482.44	...	3482.44
3. पोषाहार	22236	1.83	...	1.83	2.50	...	2.50	5.07	...	5.07
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	240.00	...	240.00	240.00	...	240.00	387.53	...	387.53
जोड़		**2400.00**	**...**	**2400.00**	**2400.00**	**...**	**2400.00**	**3875.29**	**...**	**3875.29**

1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं : इसमें विभाग के सचिवालय तथा इसके भुगतान एवं लेखा कार्यालयों के व्यय की व्यवस्था की गई है । सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 0.25 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान किया गया है ।

2. समेकित बाल विकास सेवा स्कीम : छह वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य, पोषाहार तथा शैक्षणिक सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान किया जाता है । इस पैकेज में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल होती हैं । 31.12.2004 तक की स्थिति के अनुसार, 5652 ब्लॉक स्वीकृत किए गए हैं । 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 4491 ब्लॉक आई.सी.डी.एस. (सामान्य) तथा 922 ब्लॉक विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत परिचालित हैं । उपर्युक्त बजट प्रावधानों के अलावा, 368.05 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे । आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अंतर्गत बजट प्राक्कलन आबंटन में पूरक पोषण हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र द्वारा सहायता के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है ।

3. विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं : विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस.-II परियोजना 4.10.1999 को शुरू की गयी तथा शुरू में राष्ट्र-व्यापी प्रशिक्षण घटक (उदिशा) सहित केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश नामक पांच राज्यों के 1003 ब्लॉकों को शामिल किया गया। अप्रैल, 2003 में परियोजना का पुनर्गठन किया गया और मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं उत्तरांचल के 1316 ब्लॉकों को 1.10.2002 से आगे के लिए जोड़ा गया । 779 ब्लॉकों को आधारभूत लागत विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस.-III परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जा रही है । मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, उड़ीसा एवं उत्तरांचल नामक 11 राज्यों में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार, नूतन प्रयास, किशोरी स्कीम आदि जैसी गुणात्मक सुधार गतिविधियां चलायी जा रही हैं । परियोजना ने अपनी 5 वर्ष की सामान्य अवधि 30.9.2004 को पूरी कर ली है । परियोजना का विश्व बैंक द्वारा 30.6.2005 तक विस्तार किया गया है । तथापि, परियोजना का 18 माह अर्थात् 31.3.2006 तक विस्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन कार्यक्रम का विश्व बैंक सहायता-प्राप्त पोषाहार घटक वर्ष 1999 में आन्ध्र प्रदेश में क्रियान्वित किया गया । इस परियोजना में 1998-99 से 2003-04 तक की पांच वर्ष की कुल अवधि के लिए 392.75 करोड़ रुपये की लागत से 251 ब्लॉकों को शामिल किया गया । इस परियोजना के घटक आई.सी.डी.एस.-III परियोजना के घटकों के समान हैं । इस परियोजना को सितम्बर, 2002 तक की अवधि हेतु आई.सी.डी.एस.-II परियोजना में शामिल किया गया था । तत्पश्चात्, आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन कार्यक्रम का पोषाहार घटक मूल आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन कार्यक्रम में शामिल हो गया । इस परियोजना की पांच वर्ष की सामान्य अवधि 31.3.2004 को समाप्त हो गयी । तथापि, इस परियोजना को 30.9.2005 तक 18 माह के लिए बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है । आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है । वर्ष 2005-06 के बजट प्राक्कलन में निर्धारित 135 करोड़ रुपये के प्रावधान में से लगभग 94.50 करोड़ रुपये की राशि विश्व बैंक द्वारा सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है ।

4. आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्रशिक्षण आई.सी.डी.एस. स्कीम का एक महत्वपूर्ण घटक है । विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम - परियोजना उदिशा अप्रैल, 1999 में शुरू किया गया । यह राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, चयनित प्रशिक्षण संस्थानों एवं राज्य सरकारों के माध्यम से चलाया जाने वाला एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। परियोजना ने अपनी 5 वर्ष की सामान्य अवधि 30.9.2004 को पूरी कर ली है । परियोजना का विश्व बैंक द्वारा 30.6.2005 तक विस्तार किया गया है । तथापि, परियोजना का 18 माह अर्थात् 31.3.2006 तक विस्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

5. शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र : स्कीम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, जिनकी पारिवारिक आय 1800 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिवस देखभाल सेवाएं प्रदान करना है । इस स्कीम के अंतर्गत चलाए जा रहे शिशु गृह ऐसे बच्चों को, जिनके माता-पिता दूर कार्य स्थलों पर हैं या बीमारी के कारण अक्षम हैं तथा जो उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, स्वास्थ्य देखभाल, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण आदि उपलब्ध कराते हैं । इस स्कीम का कार्यान्वयन सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राष्ट्रीय स्तर के दो अन्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जाता है । मौजूदा शिशु गृह तथा दिवस देखभाल केन्द्रों के मानकों को संशोधित किया जा रहा है । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 3 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

6. यूनीसेफ को अंशदान : यूनीसेफ में भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए हर वर्ष व्यवस्था की जाती है ।

7. राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) : इसका उद्देश्य बच्चों के सामाजिक विकास, बाल विकास की व्यापक समीक्षा और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुपालनार्थ कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक कार्रवाई का

विकास और प्रोन्नति करना है । यह संस्थान अनुसंधान एवं मूल्यांकन, अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों को आयोजित करता है, जन-सहयोग तथा बाल विकास के क्षेत्र में सूचना सेवाएं प्रदान करता है तथा गोवाहाटी, बेंगलूर, इंदौर और लखनऊ स्थित अपने चार क्षेत्रीय केन्द्रों सहित दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में प्रशिक्षण, अनुसंधान परामर्श सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ।

विगत कुछ वर्षों में, यह संस्थान स्व-शक्ति एवं स्वयंसिद्धा जैसे स्व-सहायता दल आधारित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों, स्वैच्छिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तथा आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं हेतु एक अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान के रुप में उभर कर आया है । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 0.65 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

8. अन्य स्कीमें : बाल कल्याण : इनमें, राष्ट्रीय बाल बोर्ड, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, विश्व बाल दिवस, भारत विदेशी विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र को अंशदान, अनुसंधान प्रकाशन, सामाजिक अभिरक्षा, जनशिक्षण तथा सूचना उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान और राष्ट्रीय बाल आयोग शामिल हैं । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, योजना परिव्यय के अंतर्गत 1.80 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

9. महिला शिक्षा हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम : स्कीम का क्रियान्वयन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से किया जाता है । इस स्कीम का उद्देश्य उन महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है, जो विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों की वजह से अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं । इस स्कीम का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने तथा बाद में रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर स्कूल स्तर की परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुदान दिया जाता है । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 0.60 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

10. बालिका समृद्धि योजना : यह स्कीम गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों में बालिका के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में शुरू की गई । यह स्कीम राज्यों को हस्तांतरित की जा रही है और इसीलिए सांकेतिक प्रावधान दर्शाया गया है ।

11. कामकाजी महिला होस्टल : इस स्कीम में कामकाजी महिलाओं तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूल पश्चात् व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रही छात्राओं को सुरक्षित एवं सस्ता आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है । यह स्कीम महिला/समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, महिला विकास निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 0.50 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

12. प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता : इस स्कीम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, आदि जैसे परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशलों में सुधार लाकर तथा उन्हें मजबूती प्रदान कर इन क्षेत्रों में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा उनकी आयोत्पादक प्रतिभाओं में वृद्धि करना है । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 1.50 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड : देश में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच मध्यस्थ के रूप में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में की गई । कई वर्षों से, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं । वर्तमान समय में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जागरूकता विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिवार परामर्श केन्द्र, महिला मण्डल तथा अल्पावास गृह शामिल हैं । इन स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 3.43 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

14. स्वावलम्बन : यह स्कीम समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को परम्परागत एवं गैर-परम्परागत व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें नियमित आधार पर रोजगार अथवा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए है । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 1 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

15. अल्पावास गृह : यह स्कीम ऐसी महिलाओं और कन्याओं की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए है, जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनावों, सामाजिक बहिष्कार, शोषण अथवा अन्य कारणों से सामाजिक और नैतिक खतरों का सामना कर रही हैं । इस स्कीम में चिकित्सा संबंधी देखभाल, रोगी संबंधी कार्य सेवाएं, व्यावसायिक उपचार, शिक्षा, व्यावसायिक तथा मनोरंजन संबंधी गतिविधियां और सामाजिक सुविधाओं के समायोजन की परिकल्पना की गई है । विभाग ने कुछ अल्पावास गृहों में विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की हैं । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 1.50 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

16. जागरूकता विकास कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं/समस्याओं का पता लगाने तथा उनके सम्मुख आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए उन्हें संगठित होकर कार्य करने की भावना पैदा करना है । यह कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है । प्रत्येक शिविर के लिए 10,000/-रुपये की राशि प्रदान की जाती है । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 0.50 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

17. राष्ट्रीय महिला आयोग : राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के अधिकारों एवं हितों को सुरक्षित रखने तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी केन्द्रीय एवं राज्य कानूनों की समीक्षा करने का अधिदेश प्राप्त है । आयोग महिलाओं की समस्याओं के निदान हेतु उनसे याचिकाएं प्राप्त करता है । यह अपने अधिदेश के अंतर्गत कर्तव्यों के निष्पादन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त-पोषित एक सांविधिक निकाय है । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 0.40 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

18. स्व-शक्ति परियोजना : इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की, विशेषकर कृषि कार्य में संलग्न महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण करना है। यह परियोजना सक्रिय स्व-सहायता दलों के गठन के माध्यम से चलाई जा रही है। यह परियोजना एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है तथा बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्यों में महिला विकास निगमों और समितियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । स्व-सहायता दलों में से अधिकांश दल सामुदायिक सम्पत्तियों के सृजन, कृषि/कृषि-इतर गतिविधियां तथा अन्य कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी गतिविधियां चलाने के लिए काफी परिपक्व हो गए हैं । यह कार्यक्रम जून, 2005 में समाप्त हो जाएगा ।

19. राष्ट्रीय महिला कोष : राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में 31 करोड़ रुपये की कोरपस निधि से की गयी । कोष द्वारा वर्तमान में गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से निर्धन महिलाओं को छूट-सहित ऋण प्रदान किया जाता है । राष्ट्रीय महिला कोष से सहायता की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है तथा कोरपस निधि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने के लिए अनुमोदन मिल गया है । जरूरतों के आधार पर कोरपस में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जाएगी ।

20. स्वयंसिद्धा : स्वयंसिद्धा स्व-सहायता दलों के गठन पर आधारित महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु देश-व्यापी समेकित परियोजना है । इसमें विभिन्न स्कीमों के संकेन्द्रण तथा लघु ऋणों तक पहुंच एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 1.50 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

सं.59 / महिला और बाल विकास विभाग

21. स्वाधार : कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण की जरूरत को अधिमान्यता देते हुए, स्वाधार स्कीम वर्ष 2001-02 में शुरू की गई । स्कीम का उद्देश्य विधवाओं, देह-व्यापार से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, मानसिक रुप से विक्षिप्त तथा निराश्रित महिलाओं का व्यापक पुनर्वास करना है। स्कीम में महिलाओं के लिए भोजन एवं आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । स्कीम में विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने का भी प्रावधान है । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 0.50 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

22. देह-व्यापार से पीड़ित महिलाओं को छुड़ाने की स्कीम : यह एक नयी स्कीम है, जिसका उद्देश्य अवैध व्यापार पीड़ित महिलाओं को ऐसे व्यापार से छुड़ाने की कार्रवाई में गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को सहायता प्रदान करना है । उक्त कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि आश्रय गृहों तथा आश्रय गृह आदि में संवासियों को लाने हेतु, जहां उन्हें अस्थायी रूप से आवास सुविधा प्रदान की जायेगी, परिवहन लागत की पूर्ति के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जाय । ऊपर दर्शाए गए बजट प्रावधानों के अलावा, 0.05 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

23. अन्य कार्यक्रम : महिला कल्याण : इसमें महिला मुद्दों पर बैठकों एवं परामर्श आदि के आयोजन हेतु बजट प्रावधान शामिल हैं ।

24. राष्ट्रीय पोषण मिशन : 31 जुलाई, 2003 को जारी राजपत्रित अधिसूचना के अंतर्गत प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना की गयी। राष्ट्रीय पोषण मिशन की कार्यकारी समिति की अध्यक्षा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं । इस मिशन का मूल उद्देश्य बड़े पैमाने पर व्याप्त कुपोषण की समस्या का युद्ध स्तर पर निवारण करना है । यह मिशन उच्चतम स्तर पर विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वयक की भूमिका निभायेगा । ताकि, इस क्षेत्र में किये जा रहे प्रयास को नीति-निर्देशन प्रदान किया जा सके और देश में व्याप्त पोषण स्थिति की समीक्षा एवं अनुवीक्षण किया जा सके ।

25. अन्य स्कीमें (पोषण) : भारत सरकार ने वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय पोषण नीति अंगीकृत की तथा महिला एवं बाल विकास विभाग पोषण हेतु नोडल विभाग बनाया । खाद्य एवं पोषण बोर्ड मुख्यतः पोषण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों तथा राष्ट्रीय पोषण नीति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई से जुड़ा है ।

26. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान : वर्ष के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ अलग-अलग स्कीमों के लिए इस प्रावधान से निधियों को पुनर्विनियोजित किया जाएगा ।